फैक्स/ई–मेल सन्देश
राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा
निर्वाचन सदन,प्लाट नं02,सैक्टर 17
पंचकूला।

क्र0 रा0नि0आ0/3ई–II/2010/2786 दिनांक 26.05.2010

सेवा में

उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
सिरसा।

विषयः– पंचायती राज संस्थओं के आम चुनाव 2010–कर्मचारियों की रैण्डमाईजेशन करने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक 4423/पं0चुनाव–2010 दिनांक 24.05.2010 के सन्दर्भ में।

2. विषयाधीन मामले में आपका ध्यान आयोग के पृ0क्रमांक रा0नि0आ0/3ई–III/2010/1423 दिनांक 26.04.2010 की और दिलाते हुये लिखा जाता है कि संदर्भित पत्र अनुसार आपसे अनुरोध किया गया था कि आर0ओ0, ए0आर0ओ0 तथा पी0ओ0, ए0पी0ओ0 एंव पोलिंग आफिसरस तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी की डियूटी उसके पैतृक गांव/वार्ड में ना लगाई जाये बल्कि अतिरिक्त हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 15 से 19 व 21 में वर्णित निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

3. अतः जिलों में उपलब्ध सभी कर्मचारियों के डाटाबेस में से वास्तविक लगाए जाने वाले कर्मचारियों के प्रथम स्तर की रैण्डमाईजेशन में उनका ब्लाक अलाट कर दिया जाये तथा सम्पूर्ण पोलिंग पार्टी को ब्लाक स्तर पर प्रथम रिहर्सल करवाई जाये। प्रथम चरण के चुनाव में मतदान पार्टियों को दिनांक 5–6–2010 तथा 11.06.2010 को भेजते समय पुनः रैण्डमाईजेशन करके उसी दिन उनका बूथ अलाट कर दिया जाये। कृप्या यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उपरोक्त तिथियों से पूर्व किसी भी पीठासीन/पोलिंग अधिकारी को इसकी डयूटी स्थान का पता न लगने पाये।

हस्ता/–

अधीक्षक/पंचायत
राज्य निर्वाचन आयोग,हरियाणा

पृ0क्र0ःरा0नि0आ0/3ई–II/2010/2787–98 दिनांकः26.05.2010

इसकी प्रति राज्य के सभी उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ/आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है।

हस्ता/–

अधीक्षक/पंचायत
राज्य निर्वाचन आयोग,हरियाणा